

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थाओं को दो माह की दी छूट

District : dipr

Department :

VIP Person : General

Press Release

State News

Attached Document :

RK-01-05-20-3.docx (<http://103.203.138.54/news/206286/document/RK-01-05-20-3.docx>)

DESCRIPTION

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थाओं को दो माह की दी छूट

जयपुर, एक मई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोविड-19 की महामारी एवं उससे संबंधित लॉकडाउन के कारण उद्योगों द्वारा अनुपालना रिपोर्ट पेश किये जाने में हो रही परेशानी को मद्दे नजर रखते हुए उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से सभी औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों को सभी प्रकार की अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए 30 जून 2020 तक की छूट दी है। इस छूट में कारण बताओ नोटिस, सम्मति शर्तों संवैधानिक नियमों की अनुपालना रिपोर्ट एवं व्यक्तिगत सुनवाई में दिये गए निर्देश सम्मिलित है।

इस सम्बन्ध में राज्य मंडल जयपुर द्वारा एक मई 2020 को आदेश जारी कर दिये गए हैं।

SUPPORTING IMAGES